

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला, 4 अप्रैल, 2012

संख्या: वि०स०-वि०-सरकारी विधेयक/१-२०/२०१२.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्यांक 26) जो आज दिनांक 4 अप्रैल, 2012 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरास्थापित हो चुका है, सर्व—साधारण की सूचनार्थ ई—राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा ।

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2012

(विधान सभा में पुरास्थापित रूप में)

लोक सेवकों तथा लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों और अभिकथनों की जांच करने के लिए हिमाचल लोकायुक्त के रूप में एक स्वतन्त्र निकाय की स्थापना का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधि को पुनः अधिनियमित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय—1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है और यह उन लोक सेवकों को भी लागू होता है, जो हिमाचल प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में राज्य से बाहर तैनात हैं।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जैसी राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषा।—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अभिकथन” से किसी लोक सेवक के सम्बन्ध में ऐसी कोई अभिपुष्टि अभिप्रेत है कि—

(i) ऐसे लोक सेवक ने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित अभिलाभ या अनुग्रह प्राप्त करने या अनुचित या भ्रष्ट तरीकों (हेतु) द्वारा अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय, किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचाने या कठिनाई में डालने के लिए अपने पद का जानबूझ कर या आशयित दुरुपयोग किया है, जिससे ऐसे लोक सेवक के रूप में उसकी हैसियत से सत्यनिष्ठा के अभाव में राज्य या समाज (लोगों) के किसी व्यक्ति या वर्ग को हानि पहुंची है; या

(ii) ऐसा लोक सेवक भ्रष्टाचार का दोषी है; या

(iii) ऐसे लोक सेवक के कब्जे में धन सम्बन्धी ऐसे संसाधन हैं या ऐसी सम्पत्ति है, जो उसकी आय के ज्ञात स्त्रोत के अनुपात में नहीं हैं और ऐसी सम्पत्ति लोक सेवक द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके कुटुम्ब के किसी अन्य सदस्य द्वारा धारित की गई है;

स्पष्टीकरण।—इस उप खण्ड के प्रयोजन के लिए “कुटुम्ब” से दत्तक पुत्रों और पुत्रियों सहित पति, पत्नी और अव्यस्क आश्रित बच्चे अभिप्रेत हैं।

(ख) “शिकायत” से ऐसे प्ररूप, जैसा विहित किया जाए, में की गई शिकायत अभिप्रेत है, जिसमें अभिकथित हो कि किसी लोक सेवक ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1988 या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय 9 के अधीन दण्डनीय अपराध किया है;

(ग) लोक सेवक के सम्बन्ध में ‘सक्षम प्राधिकारी’ से अभिप्राय है—

(i) मुख्य मन्त्री की दशा में, राज्य की विधान सभा;

- (ii) मन्त्री परिषद् के सदस्य, राज्य मन्त्री, उप मन्त्री, मुख्य संसदीय सचिव या संसदीय सचिव की दशा में, मुख्य मन्त्री;
- (iii) राज्य मन्त्री, उप मन्त्री, मुख्य संसदीय सचिव या संसदीय सचिव के अतिरिक्त राज्य विधानसभा के अन्य सदस्यों की दशा में, सदन का अध्यक्ष;
- (iv) राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से निधिक और राज्य विधान सभा के किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रतिकुलपति की दशा में, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल;
- (v) अखिल भारतीय सेवा के सदस्य या विभागाध्यक्ष की दशा में, मुख्यमन्त्री;
- (vi) अधीनस्थ कर्मचारिवृंद सहित, न्यायिक सेवाओं के सदस्य की दशा में, उच्च न्यायालय;
- (vii) राज्य सरकार के विभाग में अन्य अधिकारियों की दशा में विभाग का प्रभारी मन्त्री, जिसके अधीन ऐसा अधिकारी सेवारत है;
- (viii) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित या गठित या राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या सारतः वित्तपोषित या नियन्त्रित किसी निकाय, बोर्ड, निगम, प्राधिकरण, कम्पनी, सोसाइटी या स्वायत निकाय (जिस भी नाम से बुलाया जाए) के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य की दशा में, मुख्य मन्त्री;
- (ix) संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित या गठित या राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या सारतः वित्तपोषित या नियन्त्रित निकाय, बोर्ड, निगम, प्राधिकरण, कम्पनी, सोसाइटी या स्वायत निकाय (जिस भी नाम से बुलाया जाए) के किसी अधिकारी की दशा में, ऐसे निकाय, बोर्ड, निगम, प्राधिकरण, कम्पनी, सोसाइटी या स्वायत निकाय का हैड (मुखिया);
- (x) उपर्युक्त उपखण्ड (i) से (ix) के अधीन न आने वाले किसी अन्य मामले की दशा में, ऐसा प्राधिकारी, जिसे राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो :

परन्तु यह कि उपखण्ड (ix) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति राज्य विधान सभा का सदस्य है, तब सदन का अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी होगा;

- (घ) "भ्रष्टाचार" से अभिप्रेत है व इसके अन्तर्गत है—
 - (i) पक्षपात, भाई—भतीजावाद के अभिकथन और लोक सेवक के तौर पर उसकी हैसियत में सत्यनिष्ठा की कमी;
 - (ii) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दण्डनीय किया गया कोई कृत्य;
 - (iii) हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत दण्डनीय किया गया कोई कृत्य;
 - (iv) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय 9 के अधीन दण्डनीय किया गया कोई कृत्य; और
 - (v) अन्तर्सूचक (व्हिसल ब्लोअर) या किसी साक्षी का उत्पीड़न।
- (ङ) "राज्यपाल" से हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(च) “हिमाचल लोकायुक्त” से लोकायुक्त और उप लोकायुक्त दोनों से समाविष्ट लोकायुक्त की संस्था अभिप्रेत है;

(छ) “लोकायुक्त” से धारा 4 के अधीन लोकायुक्त के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) “उप लोकायुक्त” से धारा 4 के अधीन उप लोकायुक्त के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) “मन्त्री” से राज्य सरकार का कोई मन्त्री अभिप्रेत है, किन्तु इसके अन्तर्गत मुख्य मन्त्री नहीं है;

(ज) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है, और “अधिसूचित करना” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ट) “प्रारम्भिक जांच” से इस अधिनियम के अधीन संचालित जांच अभिप्रेत है;

(ठ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) “लोक प्राधिकरण” से:—

- भारत के संविधान द्वारा या के अधीन; या
- राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा या के अधीन; या
- सरकार की अधिसूचना द्वारा, स्थापित या गठित कोई प्राधिकरण या निकाय या स्वशासन की संस्था अभिप्रेत है, और इसमें सरकार द्वारा/के स्वामित्वाधीन, नियन्त्रणाधीन या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय भी सम्मिलित हैं;

(द) “लोक सेवक” से ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने लोक पद धारण किया है या कर रहा है, और जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2(ग) के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक है या रह चुका है अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे,—

- हिमाचल प्रदेश का मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश मन्त्री परिषद् के सभी मन्त्री, राज्य मन्त्री, उप मन्त्री, मुख्य संसदीय सचिव, संसदीय सचिव और विधान सभा के सदस्य;
- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनी, जिसमें इक्यावन प्रतिशत संदत्त शेयर पूँजी से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है, या कोई कम्पनी जो उस कम्पनी की समनुषंगी कम्पनी हो, जिसमें इक्यावन प्रतिशत संदत्त शेयर पूँजी से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है, का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशक मण्डल का सदस्य या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिस भी नाम से बुलाया जाए);
- हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 3 और 4 के अधीन घोषित और गठित नगर निगम का महापौर, उप-महापौर, पार्षद या आयुक्त;
- हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 3 और 4 के अधीन गठित नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत का प्रधान, उप प्रधान, सदस्य, कार्यकारी अधिकारी या सचिव;
- राज्य विधानमण्डल के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित और राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से निधिक विश्वविद्यालय का कुलपति, प्रतिकुलपति;

- (vi) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अधीन गठित जिला परिषद् या पंचायत समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य, ग्राम पंचायत का प्रधान, उप प्रधान या सदस्य;
- (vii) तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित विधि के अधीन निगमित शीर्ष सोसाइटी या ऐसी अन्य सहकारी सोसाइटियों, जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या किसी प्रबंध समिति या निदेशक मण्डल का सदस्य;
- (viii) राज्य सरकार द्वारा निगमित या स्थापित किसी कानूनी निकाय या अकानूनी निकाय का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिस भी नाम से बुलाया जाए);
- (ix) इस खण्ड के उप खण्डों (ii) से (viii) में निर्दिष्ट सरकार, सरकारी कम्पनी, स्थानीय निकाय, राज्य द्वारा पर्याप्त रूप से निधिक विश्वविद्यालय, जिला परिषद्, पंचायत समिति, शीर्ष सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी, कानूनी या अकानूनी निकाय की सेवा में या वेतन में;
- (x) राज्य सरकार या उप खण्ड (ix) में निर्दिष्ट और राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में समय—समय पर अधिसूचित किसी प्राधिकरण के नियन्त्रणाधीन कोई अन्य पद या कार्यालय धारित करने वाला; और
- (xi) न्यायिक सेवाओं के सदस्य और न्यायालय के अन्य कर्मचारिवृन्द;

स्पष्टीकरण.——इस खण्ड के प्रयोजन के लिए लोक सेवकों के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश सम्मिलित नहीं होंगे।

- (ए) “नियम” से अधिनियम की धारा 30 के अधीन बनाए गए नियम, अभिप्रेत हैं;
- (त) “विनियम” से अधिनियम की धारा 31 के अधीन बनाया गया विनियम अभिप्रेत है;
- (थ) “अनुसूची” से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (द) “राज्य सरकार” से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (ध) “विशेष न्यायालय” से इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश का न्यायालय अभिप्रेत है; और
- (न) “अन्तर्सूचक (डिसल ब्लॉअर)” से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी लोक सेवक द्वारा, किसी लोक प्राधिकरण (पब्लिक ऑथारिटी) में भ्रष्टाचार के बारे में सार सहित वास्तविक सूचना उपलब्ध करवाता है या लोकायुक्त के समक्ष भ्रष्टाचार के मामले में साक्षी है या पीड़ित है।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो यहां प्रयुक्त हैं और इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं किन्तु समय—समय पर संशोधित, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, समय—समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके उस अधिनियम में हैं।
- (3) किसी अधिनियम के सन्दर्भ में, समय—समय पर, उस अधिनियम में किए गए संशोधन सम्मिलित हैं।

अध्याय-2
हिमाचल लोकायुक्त की स्थापना

3. हिमाचल लोकायुक्त की स्थापना।—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा हिमाचल लोकायुक्त की स्थापना करेगी और लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्तों की नियुक्ति निम्नलिखित रीति में करेगी, अर्थात्:—

(क) लोकायुक्त, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है; और

(ख) दो उप लोकायुक्त, जिनमें से एक उप लोकायुक्त अनिन्द्य सत्यनिष्ठा, उत्कृष्ट, योग्यता वाला व्यक्ति होगा, जिसकी लोक प्रशासन में पच्चीस वर्ष की उत्कृष्ट सेवा हो और अन्य उप लोकायुक्त अनिन्द्य सत्यनिष्ठा, उत्कृष्ट योग्यता वाला व्यक्ति होगा, जिसकी लोक सेवा, भ्रष्टाचार निरोध नीति, विधि या लोक प्रशासन से सम्बन्धित मामलों में कम से कम पच्चीस वर्ष का विशेष ज्ञान और सुविज्ञता हो:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व नियुक्त लोकायुक्त, अपनी पदावधि की समाप्ति तक लोकायुक्त बना रहेगा ।

(2) लोकायुक्त या उप लोकायुक्त बनने के लिए कोई व्यक्ति पात्र नहीं होगा, यदि

(क) वह भारत का नागरिक नहीं है;

(ख) उसके विरुद्ध कभी किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो, के लिए आरोप विरचित किए गए हो;

(ग) वह दो वर्ष या अधिक की अवधि के लिए सिद्धदोष और दण्डादिष्ट किया गया हो;

(घ) वह कार्यालय ग्रहण करने की तारीख को पचपन वर्ष की आयु से कम हो;

(ङ) वह संसद, राज्य विधान मण्डल या स्थानीय निकाय का सदस्य हो;

(च) उस पर संघ या राज्य की सेवा के दौरान प्रमुख शास्ति अधिनिर्णीत की गई हो :

परन्तु लोकायुक्त दायित्व और लाभ का (उसके लोकायुक्त या उप लोकायुक्त के पद से अन्यथा) कोई भी पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से सम्बन्धित न होगा या कोई कारबार या व्यवसाय या कोई वृत्ति न चलाएगा और तदनुसार, वह अपने पद ग्रहण करने से पूर्व यदि वह—

(i) दायित्व या लाभ के किसी पद को धारित करता है, तो वह ऐसे पद से त्याग पत्र देगा; या

(ii) कोई कारबार कर रहा है, तो ऐसे कारबार के संचालन और प्रबंधन से अपना सम्बंध तोड़ देगा; या

(iii) कोई वृत्ति का व्यवसाय करता है, तो वह ऐसे वृत्ति के व्यवसाय में न रहेगा ।

(3) हिमाचल लोकायुक्त का स्थान शिमला में होगा ।

4. लोकायुक्त और उप लोकायुक्तों की नियुक्ति।—(1) लोकायुक्त और उप लोकायुक्त, राज्यपाल द्वारा, चयन समिति की सिफारिशों प्राप्त करने के पश्चात्, उसके हस्ताक्षर और मोहर के अधीन वारंट द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

(2) चयन समिति का गठन निम्नलिखित से होगा—

- (i) हिमाचल प्रदेश का मुख्य मन्त्री —अध्यक्ष;
- (ii) हिमाचल प्रदेश विधान सभा में विपक्ष का नेता —सदस्य;
- (iii) हिमालच प्रदेश उच्च न्यायालय का
मुख्य न्यायमूर्ति —सदस्य।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए जहां विधान सभा में विपक्ष का नेता मान्यता प्राप्त नहीं है, तो विधान सभा में विपक्ष में एक बड़े समूह का नेता, विपक्ष का नेता समझा जाएगा।

(3) चयन समिति, लोकायुक्त और उप लोकायुक्तों का, जांच पड़ताल समिति द्वारा तैयार की गई संक्षिप्त सूची में से, चयन करेगी।

5. जांच पड़ताल समिति—(1) जांच पड़ताल समिति, उन व्यक्तियों में से, जो अनिन्द्य सत्यनिष्ठा, उत्कृष्ट योग्यता रखने वाले हो, लोक सेवा, विधि, लोक प्रशासन या लोक सेवा से सम्बन्धित मामलों में विशेष ज्ञान और सुविज्ञता रखने वाले हो, चयन समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन सदस्यों से गठित होगी।

(2) जांच पड़ताल समिति के सदस्य ऐसे मानदेय के लिए, ऐसी शर्तों के अध्यधीन पात्र होंगे, जैसी विहित की जाएं।

(3) जांच पड़ताल समिति, ऐसे विव्यात व्यक्तियों या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या संगठनों, जिन्हें वह उचित समझे, से आवेदन आमंत्रित करेगी, नामनिर्देशन चाहेगी और व्यक्तियों के नाम लोकायुक्त या उप लोकायुक्त के रूप में विचार करने के लिए सम्मिलित कर सकेंगी।

(4) ऐसे व्यक्तियों के नामों को, जांच पड़ताल समिति द्वारा सम्पूर्ण पूर्ववृत्त सहित, पब्लिक वैबसाइट पर डाला जाएगा और इन्हें दो अग्रणी समाचार पत्रों में भी लोक आक्षेपों से सम्बन्धित कोई जानकारी आमंत्रित करने के लिए कम से कम पन्द्रह दिन का समय देकर, प्रकाशित किया जाएगा।

(5) जांच पड़ताल समिति, पारदर्शी रीति में चयन समिति के लिए सिफारिश किए जाने वाले नामों को छांटने के प्रयोजन के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया अपनाएगी। समिति ऐसे अभ्यर्थियों की जानकारी और पृष्ठभूमि तथा उपलब्धियों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए समस्त संसाधनों का प्रयोग करेगी। ऐसी सूचना में, अन्य बातों के साथ—साथ, किसी विधि के अधीन सामना किए गए किन्हीं अभिकथनों के ब्यौरे, पूर्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध किए गए उसके कार्यों के ब्यौरे, और वे कारण कि क्यों व्यक्ति इस कार्य (जॉब) के उपयुक्त है और अन्य बातें, जो जांच पड़ताल समिति विनिश्चित करे, अन्तर्विष्ट होंगे।

(6) जांच पड़ताल समिति प्रत्येक पद के लिए तीन नामों की सिफारिश करेगी। समिति, चयन समिति को संक्षिप्त सूची भेजने से पूर्व, ऐसे व्यक्तियों के बारे में कोई सुसंगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए जन साधारण को समर्थ बनाने के लिए, छांटनी किए गए व्यक्तियों के नामों को पब्लिक वैबसाइट पर डालेगी।

6. चयन समिति द्वारा लोकायुक्त और उप लोकायुक्तों का चयन—(1) चयन समिति, छांटनी किए गए अभ्यर्थियों के बारे में समस्त सुसंगत सूचना पर विचार करने के पश्चात, लोकायुक्त और उप लोकायुक्तों का अधिमानतः, आम सहमति से, चयन करेगी।

(2) चयन समिति, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के रूप में सिफारिश किए जाने वाले व्यक्तियों का चयन करने के पश्चात, राज्यपाल को नामों की सिफारिश करने से पूर्व, उनके इस रूप में सेवा करने की रजामंदी को सुनिश्चित करेगी।

(3) सरकार, यथास्थिति, लोकायुक्त या उप लोकायुक्त की रिक्ति को, लोकायुक्त या उप लोकायुक्त की पदावधि की समाप्ति तारीख से एक मास के भीतर भरेगी :

परन्तु यदि रिक्ति अकलिप्त कारणों के कारण उत्पन्न होती है, तो यह ऐसी रिक्ति की उत्पन्न होने की तारीख से तीन मास के भीतर भरी जाएगी ।

7. लोकायुक्त और उप लोकायुक्तों की पदावधि.—(1) लोकायुक्त और उप लोकायुक्त पांच वर्ष की एकल अवधि के लिए, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है या जब तक वह सत्तर वर्ष की आयु, जो भी पूर्वतर हो, प्राप्त नहीं कर लेता है, पद धारित करेगा:

परन्तु लोकायुक्त के रूप में नियुक्त आसीन उप लोकायुक्त, से शेष अवधि या सत्तर वर्ष तक, जो भी पूर्वतर हो, के लिए पद पर रहेगा, किन्तु उप लोकायुक्त और लोकायुक्त के रूप में कुल अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह और कि लोकायुक्त या उप लोकायुक्त, राज्यपाल को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा ।

(2) लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व, राज्यपाल के समक्ष, अनुसूची में दिए हुए प्ररूप में शपथ या प्रतिज्ञान और हस्ताक्षर करेगा ।

(3) लोकायुक्त के पद में, उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा रिक्त होने की दशा में राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा नए लोकायुक्त की नियुक्ति होने तक, ज्येष्ठतम उप लोकायुक्त को लोकायुक्त के रूप में कार्य करने को प्राधिकृत कर सकेगा :

परन्तु जब लोकायुक्त, छुट्टी के कारण या अन्यथा अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा, लोकायुक्त के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, जब तक वह अपने कर्तव्यों को ग्रहण नहीं कर लेता, ज्येष्ठतम उप लोकायुक्त को प्राधिकृत कर सकेगा ।

8. लोकायुक्त और उप लोकायुक्तों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें.—(1) लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को क्रमशः उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन संदर्भ किया जाएगा तथा भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विहित की जाएं :

परन्तु विद्यमान लोकायुक्त को उपलब्ध वेतन, भत्ते और अन्य प्रसुविधाएं, लोकायुक्त बनने पर अहितकर रूप में परिवर्तित नहीं की जाएंगी:

परन्तु यह और कि यदि लोकायुक्त या उप लोकायुक्त अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा की बाबत पेंशन (निःशक्तता पेंशन से अन्य) ले रहा है, तो, यथास्थिति, लोकायुक्त या उप लोकायुक्त के रूप में सेवा की बाबत उसका वेतन,

(क) उस पेंशन की रकम से; और

(ख) यदि उसने, ऐसी नियुक्ति से पूर्व ऐसी पूर्व सेवा की बाबत उसे देय पेंशन के भाग के बदले में उसका सारांशित मूल्य अभिप्राप्त किया है,

पेंशन के उस भाग की रकम से, कम किया जा सकेगा ।

(2) लोकायुक्त और उप लोकायुक्त, ऐसी हैसियत से पद धारण करने के लिए किसी पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे :

परन्तु लोकायुक्त या उप लोकायुक्त के वेतन और सेवा की अन्य शर्तें, उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके अहितकर रूप में परिवर्तित नहीं की जाएगी ।

9. लोकायुक्त और उप लोकायुक्तों के पद धारण करने से प्रविरत हो जाने के पश्चात् नियोजन पर निर्बन्धन।—लोकायुक्त और उप लोकायुक्त पद धारण करने से प्रविरत हो जाने पर, किसी राजनयिक समनुदेशन भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार में या किसी ऐसे निकाय, जो किसी भी सरकार द्वारा निधित है, में किसी पद पर नियुक्ति के लिए अपात्र होगा।

10. हिमाचल लोकायुक्त का सचिव, अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृन्द।—(1) हिमाचल लोकायुक्त का एक सचिव होगा, जो अखिल भारतीय सेवा से, राज्य सरकार के सचिव की पक्षित में से हिमाचल लोकायुक्त के परामर्श से, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) हिमाचल लोकायुक्त के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द हिमाचल लोकायुक्त द्वारा राज्य सरकार से या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित संगठनों से सैकेंडमेंट आधार पर लिए जाएंगे:

परन्तु हिमाचल लोकायुक्त के विद्यमान कर्मचारिवृन्द हिमाचल लोकायुक्त की सेवा में निरन्तर कर्मचारी बने रहेंगे।

(3) हिमाचल लोकायुक्त, हिमाचल राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से लोकायुक्त के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृन्द के पदों के सृजन, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों से सम्बन्धित विनियम बनाएगा।

अध्याय—3

हिमाचल लोकायुक्त की शक्तियां और कृत्य

11. हिमाचल लोकायुक्त की शक्तियां और कृत्य।—हिमाचल लोकायुक्त की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :—

- (क) भ्रष्टाचार के आरोपों से सम्बन्धित समस्त मामलों सहित, अधिनियम के अधीन स्वप्रेरणा से कार्रवाई प्रारम्भ करना ;
- (ख) लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करना ;
- (ग) हिमाचल लोकायुक्त के किसी अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करना ;
- (घ) रिटेनरशिप पर अभियोजकों और वरिष्ठ कांउसिलों को लेना ;
- (ङ) इस अधिनियम के अधीन भ्रष्टाचार के किसी कृत्य से अंतर्वलित अपराधों के अन्वेषण पर अधीक्षण करना ;
- (च) ऐसे अपराधों के उचित अन्वेषण के लिए अन्वेषण अधिकारियों को निर्देश देना ;
- (छ) भ्रष्टाचार के कृत्य में अंतर्वलित किसी मामले में अन्वेषण के पूर्ण होने पर अभियोजन या विभागीय कार्यवाहियों का निर्देश देना;
- (ज) विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन प्रारम्भ करना ;
- (झ) पट्टा, अनुज्ञाप्ति, अनुज्ञा, संविदा या करार, यदि इसे भ्रष्ट साधनों से प्राप्त किया गया था, के स्थगन, रद्दकरण या उपान्तरण की सिफारिश करना और फर्म, कम्पनी, ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति, जो भ्रष्टाचार के किसी मामले में अंतर्ग्रस्त है, को काली सूची में डालने की सिफारिश करना । सम्बद्ध प्राधिकारी हिमाचल लोकायुक्त को, कारणों के विस्तृत ब्यौरे विनिर्दिष्ट करते हुए तीन मास के भीतर इसकी अनुपालना रिपोर्ट भेजेगा, जहां वे किसी भी सिफारिश का स्वीकृत करना नहीं चुनते हैं;

- (ज) भ्रष्ट संसाधनों द्वारा अर्जित सम्पत्ति और परिसम्पत्तियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया आरम्भ करना, जो विधि के अनुसार जब्त तथा कुर्क की गई हों ;
- (ट) इस अधिनियम के अनुसार और इसके आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु समुचित कार्रवाई करना;
- (ठ) लोक प्राधिकारियों को सिफारिशें भेजना, भ्रष्टाचार और अन्तर्सूचक (व्हिसल ब्लॉअर) के उत्पीड़न के कार्यक्षेत्र को कम करने के लिए उनके कार्यव्यवहार में परिवर्तन करना;
- (ड) हिमाचल लोकायुक्त द्वारा अपेक्षित, किसी लोक प्राधिकारी से विनिर्दिष्ट सहायता देने की अपेक्षा करना ; और
- (ढ) इस अधिनियम के अधीन किसी मामले में लम्बित अन्वेषण के सम्बन्ध में अनुरोध पत्र को जारी करने के लिए प्राधिकृत करना ।

अध्याय—4

हिमाचल लोकायुक्त द्वारा जांच और अन्वेषण

12. हिमाचल लोकायुक्त द्वारा जांच।—(1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन, हिमाचल लोकायुक्त, किसी लोक सेवक की बाबत शिकायत में किए गए भ्रष्टाचार के किसी अभिकथन में अन्तर्वलित या उससे उद्भूत होने वाले या उससे सम्बन्धित किसी विषय में जांच करेगा या जांच करवाएगा ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, हिमाचल लोकायुक्त राज्य विधान सभा के किसी सदस्य के विरुद्ध राज्य विधान सभा में या भारत के संविधान के अनुच्छेद 194 के खण्ड (2) के अधीन उसकी किसी समिति के अन्तर्गत, उसके द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत की बाबत भ्रष्टाचार के ऐसे किसी अभिकथन से अन्तर्वलित या इससे उत्पन्न या इससे सम्बद्ध किसी मामले में जांच नहीं करेगा ।

(3) हिमाचल लोकायुक्त, उपधारा (1) में निर्दिष्ट से भिन्न किसी व्यक्ति के किसी कृत्य या आचरण की जांच भी कर सकेगा, यदि ऐसा व्यक्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध रिश्वत देने या रिश्वत लेने या उकसाने या भ्रष्टाचार के किसी अभिकथन से सम्बन्धित षड़यन्त्र रचने के कृत्य में अन्तर्वलित है ।

(4) इस अधिनियम के अधीन किसी भी मामले को, जिसके सम्बन्ध में हिमाचल लोकायुक्त को शिकायत की गई है, जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन जांच के लिए निर्देशित नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण।—हिमाचल लोकायुक्त निम्नलिखित किसी मामले की जांच नहीं करेगा—

- (क) जिसके विषय में, लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 के अधीन औपचारिक और लोक जांच आदेशित हो चुकी है; या
- (ख) जो लोक सेवक के रूप में ऐसे व्यक्ति के कृत्यों के निर्वहन के साथ, जिसके विरुद्ध अभिकथन किया गया है, सम्बद्ध नहीं है ; या
- (ग) किसी लोक सेवक के विरुद्ध अभिकथन के सम्बन्ध में, यदि उस तारीख से पांच वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् शिकायत की गई है, जिसको आरोपित आचरण का किया जाना अभिकथित हो ।

स्पष्टीकरण।—शंकाओं के निराकरण के लिए, एतद्वारा घोषणा की जाती है कि इस अधिनियम के अधीन शिकायत केवल उस अवधि से सम्बन्धित है, जिसके दौरान लोक सेवक उस हैसियत से धारित या सेवारत था ।

(5) हिमाचल लोकायुक्त अपनी वेबसाइट पर पूर्ववर्ती मास के दौरान प्राप्त हुए मामलों को, प्रत्येक मामले के संक्षिप्त ब्यौरों के साथ, मास के दौरान निपटाए गए मामलों और मास के अन्त में लम्बित मामलों को डालेगा ।

(6) हिमाचल लोकायुक्त सम्पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि किसी अन्वेषण का पूर्ण अभिलेख या इस अधिनियम के अधीन संचालित जांच को पब्लिक वेबसाइट पर डालकर सार्वजनिक किया गया है ।

(7) हिमाचल लोकायुक्त अपने कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा ।

13. शिकायतें और प्रारम्भिक जांच तथा अन्वेषण।—(1) कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन हिमाचल लोकायुक्त को शपथ पत्र द्वारा समर्थित अभिकथन के रूप में, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, शिकायत कर सकेगा ।

(2) हिमाचल लोकायुक्त उपधारा (1) के अधीन शिकायत की प्राप्ति पर, पहले विनिश्चय करेगा कि मामले पर कार्यवाही की जाए या उसे बन्द कर दिया जाए, और यदि हिमाचल लोकायुक्त आगे कार्यवाही करने का विनिश्चय करता है, तो यह किसी लोक सेवक के विरुद्ध, अपने अन्वेषण विंग या किसी अभिकरण (किसी विशेष अन्वेषण अभिकरण सहित) द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या मामले में कार्यवाही के लिए प्रथमदृष्ट्या मामला विद्यमान है, प्रारम्भिक जांच के आदेश देगा ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रारम्भिक जांच के दौरान, यथास्थिति, अन्वेषण विंग या कोई अभिकरण प्रारम्भिक जांच संचालित कर सकेगा और सारवान सूचना और एकत्रित दस्तावेजों के आधार पर साठ दिन की अवधि या संदर्भ की प्राप्ति की तारीख से आगे विस्तारित अवधि के भीतर, हिमाचल लोकायुक्त को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(4) लोक सेवक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् हिमाचल लोकायुक्त उपधारा (3) के अधीन प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट पर विचार करेगा और विनिश्चय करेगा कि क्या कोई प्रथमदृष्ट्या मामला विद्यमान है, तथा निम्नलिखित एक या अधिक कार्रवाइयां करने की सिफारिश करेगा, अर्थात्—

(क) अपने अन्वेषण विंग या किसी अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण;

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्बद्ध लोक सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां या किसी अन्य समुचित कार्रवाई करने का निदेश देना ; और

(ग) लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाहियों की समाप्ति और इस अधिनियम के अधीन शिकायतकर्ता के विरुद्ध आगे कार्यवाही करना ।

(5) हिमाचल लोकायुक्त द्वारा शिकायत पर अन्वेषण की कार्यवाही करने की दशा में यह किसी भी अन्वेषण अभिकरण (किसी विशेष अभिकरण सहित) को यथासम्भव यथाशीघ्र अन्वेषण करने के निदेश देगा और अपने आदेश की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अन्वेषण पूर्ण करेगा:

परन्तु हिमाचल लोकायुक्त, उक्त अवधि को, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, छह मास की और अवधि तक बढ़ा सकेगा ।

(6) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए कोई अभिकरण (किसी विशेष अभिकरण सहित) हिमाचल लोकायुक्त द्वारा इसे निर्दिष्ट मामलों की बाबत हिमाचल लोकायुक्त को अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(7) हिमाचल लोकायुक्त उपधारा (6) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करेगा और लोक सेवक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्—

(क) लोक सेवक के विरुद्ध विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र या बन्द करने की रिपोर्ट दायर करने; या

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा लोक सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां या कोई अन्य समुचित कार्यवाही करने का निदेश देने, का विनिश्चय कर सकेगा।

(8) हिमाचल लोकायुक्त सक्षम प्राधिकारी को अन्वेषण रिपोर्ट अग्रेषित करेगा, यदि विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर करने का विनिश्चय किया जाता है, जो अभियोजन की मंजूरी प्रदान करेगा या मांगेगा या अन्वेषण रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से 120 दिन के भीतर लिखित में रिपोर्ट भेजेगा, ऐसा न होने पर अभियोजन मंजूरी प्रदान की गई समझी जाएगी। अभियोजन की मंजूरी या लिखित में रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् हिमाचल लोकायुक्त—

(क) अपने अभियोजन विंग को, इसके अन्वेषण विंग या किसी अन्य अन्वेषण अभिकरण (किसी विशेष अभिकरण सहित) द्वारा अन्वेषित मामलों की बाबत विशेष न्यायालय में अभियोजन प्रारम्भ करने का निदेश देगा, या

(ख) किसी अन्य अभिकरण को, हिमाचल लोकायुक्त के निदेश पर, ऐसे अभिकरण द्वारा अन्वेषित मामलों में इसका अनुमोदन प्राप्त करने और तत्पश्चात् विशेष न्यायालय में अभियोजन प्रारम्भ करने तथा इस खण्ड के अधीन इसके द्वारा दायर किए गए आरोप पत्र की प्रति को लोकायुक्त को अधीक्षण के प्रयोजन के लिए अग्रेषित करने का निदेश देगा।

(9) हिमाचल लोकायुक्त, यथास्थिति, प्रारम्भिक जांच या अन्वेषण के दौरान, यथास्थिति, प्रारम्भिक जांच या अन्वेषण, जैसा वह उचित समझे, से सुसंगत दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए समुचित आदेश पारित करेगा।

(10) हिमाचल लोकायुक्त का यदि समाधान हो जाता है कि अन्वेषण के दौरान भ्रष्टाचार की चालू घटना के निवारण के लिए लोकहित में कोई निवारक कार्रवाई की जानी आवश्यक है, तो यह सम्बद्ध लोक प्राधिकारी को कार्यान्वयन और किसी विनिश्चय के प्रवर्तन को रोकने की सिफारिश कर सकेगा या ऐसी कार्रवाई करने की सिफारिश करेगा जिसकी इसके द्वारा सिफारिश की जा सके। लोक प्राधिकारी या तो हिमाचल लोकायुक्त की सिफारिश का पालन करेगा या इसकी सिफारिश के तीस दिन के भीतर इसे रद्द करेगा।

(11) हिमाचल लोकायुक्त की वैबसाइट लोगों के लिए इसके समक्ष लम्बित शिकायतों की प्रास्थिति प्रदर्शित करेगी।

(12) भारत संघ के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहे किसी व्यक्ति की दशा में केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना कोई अन्वेषण प्रारम्भ नहीं किया जाएगा।

14. सुने जाने के लिए संभाव्यतः प्रतिकूलतः प्रभावित व्यक्ति—यदि कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में हिमाचल लोकायुक्त—

(क) सिद्धदोष से अन्यथा किसी व्यक्ति के आचरण से सम्बन्धित जांच कराना आवश्यक समझता है; या

(ख) उसकी यह राय है कि सिद्धदोष से अन्यथा किसी व्यक्ति का आचरण प्रारम्भिक जांच द्वारा प्रतिकूलतः प्रभावित होना संभाव्य है,

तो हिमाचल लोकायुक्त उस व्यक्ति को प्रारम्भिक जांच में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा तथा अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने देगा।

15. हिमाचल लोकायुक्त द्वारा किसी भी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से किसी भी सूचना आदि को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना।—इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन किसी प्रारम्भिक जांच या अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, हिमाचल लोकायुक्त या अन्वेषण प्राधिकारी किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति, जो उसकी राय में सूचना देने या ऐसी प्रारम्भिक जांच या अन्वेषण से सुसंगत दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में समर्थ है, से ऐसी कोई सूचना प्रस्तुत करने या ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

अध्याय—5

हिमाचल लोकायुक्त का अन्वेषण विंग

16. अन्वेषण विंग (खण्ड)।—(1) तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, हिमाचल लोकायुक्त का, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय—9 या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अधीन दण्डनीय, किसी लोक सेवक द्वारा किसी अपराध, जिसका किया जाना अभिकथित है, के निष्पक्ष, पक्षपात रहित और पारदर्शी अन्वेषण संचालित करने के प्रयोजन के लिए एक अन्वेषण विंग (राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से गठित) होगा। राज्य सरकार अन्वेषण अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द की ऐसी संख्या उपलब्ध करवाएगा, जैसी हिमाचल लोकायुक्त द्वारा इस अधिनियम के अधीन ऐसी जांच या अन्वेषण संचालित करने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो।

(2) कोई भी अन्वेषण, अन्वेषण विंग के पुलिस निरीक्षक की पंक्ति के नीचे के किसी अधिकारी द्वारा संचालित नहीं किया जाएगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन किसी जांच को संचालित करने की रीति और प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(4) हिमाचल लोकायुक्त के प्राधिकृत अन्वेषण अधिकारियों को, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय—9 या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अधीन अपराधों के अन्वेषण की समस्त वही शक्तियां होंगी, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अपराधों के अन्वेषण करते समय पुलिस अधिकारी में निहित है।

17. हिमाचल लोकायुक्त पुलिस स्टेशन।—हिमाचल लोकायुक्त द्वारा सिफारिश किए गए स्थान, समय—समय पर यथा संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, समय—समय पर यथा संशोधित भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय—9, समय—समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अधीन विचारणीय संज्ञे अपराधों के रजिस्ट्रीकरण के लिए समय—समय पर यथा संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ख) के अधीन हिमाचल लोकायुक्त पुलिस स्टेशन के रूप में अधिसूचित होंगे।

18. शिकायत प्राधिकरण।—(1) दो सदस्यों वाला अंशकालिक शिकायत प्राधिकरण हिमाचल लोकायुक्त के अधिकारियों या कर्मचारिवृन्द के विरुद्ध शिकायतों को ग्रहण करने के लिए राज्य सरकार की सहमति से हिमाचल लोकायुक्त में स्थापित किया जाएगा।

(2) ऐसे प्राधिकरण के सदस्य को विधि या लोक प्रशासन का ज्ञान होना चाहिए।

(3) शिकायतों की जांच और उनका विनिश्चय दो मास के भीतर किया जाएगा। हिमाचल लोकायुक्त के अधिकारियों या कर्मचारिवृन्द को अपनी प्रतिरक्षा का समुचित अवसर दिया जाएगा। यदि अधिकारियों या कर्मचारिवृन्द का सदस्य कदाचार या बेर्इमानी या भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है, तो प्राधिकरण उसकी पदच्युति, हटाने या सम्बद्ध विभाग को उसे वापिस भेजने सहित रैंक में अवनति के आदेश कर सकेगा।

अध्याय—6

विशेष न्यायालय

19. विशेष न्यायालयों का गठन।—(1) राज्य सरकार हिमाचल लोकायुक्त की सिफारिश पर, उच्च न्यायालय के परामर्श से, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय—9, हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अधीन या इस अधिनियम के अधीन मामलों को सुनने और विनिश्चय करने के लिए विशेष न्यायालय अभिहित करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिहित विशेष न्यायालय, विचारण का, न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर, विनिश्चय करेंगे:

परन्तु यदि विचारण का एक वर्ष की अवधि के भीतर विनिश्चय नहीं किया जाता है, तो विशेष न्यायालय इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा और तीन मास से आगामी अनधिक अवधि या ऐसी आगामी विस्तारित अवधि किन्तु, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, दो वर्ष की कुल अवधि से अनधिक के भीतर, विचारण का विनिश्चय करेगा।

20. कतिपय मामलों में अनुरोध पत्र।—(1) इस अधिनियम या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन प्रारम्भिक जांच या अपराध या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में इस निमित्त आवेदन हिमाचल लोकायुक्त के इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विशेष न्यायालय को किया जाना है कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध या कार्यवाहियों की प्रारम्भिक जांच या अन्वेषण के संबंध में कोई साक्ष्य अपेक्षित है, और उसकी यह राय है कि ऐसा साक्ष्य अन्य राज्य में किसी स्थान पर उपलब्ध हो सकता है, और विशेष न्यायालय, अपना समाधान होने पर कि ऐसा साक्ष्य अपेक्षित है, अन्य राज्य के न्यायालय या प्राधिकरण को निम्नलिखित के बारे, ऐसे अनुरोध पर कार्यवाही करने के लिए अनुरोध पत्र जारी कर सकेगा—

- (i) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का परीक्षण करने;
- (ii) ऐसे कदम उठाने के लिए, जैसे विशेष न्यायालय ऐसे अनुरोध पत्र में विनिर्दिष्ट करे; और
- (iii) ऐसे लिए गए या एकत्रित किए गए सभी साक्ष्य, ऐसे अनुरोध पत्र जारी करने वाले विशेष न्यायालय को अग्रेषित करेंगा।

(2) अभिलिखित प्रत्येक कथन या उप धारा (1) के अधीन प्राप्त किया गया दस्तावेज या वस्तु जांच या अन्वेषण के दौरान एकत्रित साक्ष्य समझी जाएगी।

अध्याय—7

हिमाचल लोकायुक्त का अभियोजन विंग (खण्ड)

21. अभियोजन विंग (खण्ड)।—इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत के सम्बन्ध में लोक सेवक के अभियोजन के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रित संगठन से सैकन्डमैंट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले अभियोजन अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द से गठित हिमाचल लोकायुक्त का एक अभियोजन विंग (खण्ड) होगा। अभियोजन विंग (खण्ड), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय 9, या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के सम्बन्ध में ऐसा अनुसोदन प्रदान करने के लिए हिमाचल लोकायुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के अनुसोदन के पश्चात् विशेष न्यायालय के समक्ष कोई मामला दायर करेगा।

स्पष्टीकरण—हिमाचल लोकायुक्त के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियूंद का अधीक्षण, सुरक्षा, प्रबन्धन, अनुश्रवण और नियन्त्रण अन्वेषण और अभियोजन विंगों (खण्डों) के अधिकारियों और कर्मचारियूंद सहित, हिमाचल लोकायुक्त के पर्यवेक्षणाधीन होगा।

अध्याय-8

सिविल न्यायालय और हिमाचल लोकायुक्त की अन्य शक्तियां

22. हिमाचल लोकायुक्त के पास कतिपय मामलों में सिविल न्यायालय की शक्तियों का होना।—(1) हिमाचल लोकायुक्त को, निम्नलिखित मामलों में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करने हेतु सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

- (क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को बुलाना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना;
- (ख) किसी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति अपेक्षित करना;
- (ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति मंगाना;
- (ङ) साक्षियों या अन्य दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना; और
- (च) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाए।

(2) हिमाचल लोकायुक्त के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193 व 228 के अर्थ के अन्तर्गत न्यायाधिक कार्यवाही समझी जाएगी।

(3) यदि शिकायत के अन्वेषण के दौरान, हिमाचल लोकायुक्त यह पाता है कि सरकारी कर्मचारी के उस पद पर बने रहने से जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या उक्त सरकारी कर्मचारी सम्भवतः साक्ष्य को नष्ट करेगा या उससे छेड़छाड़ करेगा या साक्षियों को प्रभावित करेगा या सम्भवतः भ्रष्ट आचरण जारी रखेगा, तो हिमाचल लोकायुक्त उस सरकारी कर्मचारी का उस पद से स्थानान्तरण करने निदेश जारी कर सकेगा। इस प्रकार संसूचित निदेश आवश्यक होंगे।

(4) हिमाचल लोकायुक्त, इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण के किसी स्तर पर, समुचित प्राधिकारियों को, अन्तरिम आदेश द्वारा, लोक सेवक को भ्रष्ट साधनों द्वारा अर्जित सम्पत्ति को गुप्त रखने से विधि के अनुसार निवारित करने के लिए ऐसी कार्रवाई, जो आवश्यक है, करने का निदेश दे सकेगा।

(5) जहां हिमाचल लोकायुक्त के पास, अपने पास उपलब्ध जानकारी के परिणामस्वरूप, यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति, जिसको इस अधिनियम के अधीन कोई सम्न या सूचना जारी की गई हो या की जा सकती हो, कोई सम्पत्ति, दस्तावेज या वस्तु, जो किसी जांच या अन्य कार्यवाहियों में आवश्यक या लाभदायक या सुसंगत हो, पेश नहीं कर सकेगा या करवा सकेगा। वह तलाशी वारंट द्वारा, किसी अधिकारी, जो पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, से तदानुसार तलाशी या निरीक्षण करने हेतु विशेष रूप में किसी भवन या स्थान, जहां उसके पास कारण हो कि संदिग्ध ने ऐसी संपत्ति, या दस्तावेज रखे हैं, में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा:

परन्तु तलाशी और अभिग्रहण से सम्बन्धित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, इस धारा के अधीन, तलाशी और अभिग्रहण के लिए, जहां तक हो सके, लागू होंगे:

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन जारी किया गया कोई वारंट, समस्त प्रयोजनों के लिए, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 93 के अधीन किसी न्यायालय द्वारा जारी वारंट समझा जाएगा।

अध्याय—9

हिमाचल लोकायुक्त की कार्यवाहियां

23. हिमाचल लोकायुक्त की कार्यवाहियां।—(1) हिमाचल लोकायुक्त, लोकायुक्त और उप लोकायुक्तों के मध्य कारबार के संव्यवहार और आबंटन के प्रयोजन के लिए, अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित कर सकेगा ।

(2) हिमाचल लोकायुक्त का कोई कार्य या कार्यवाही—

(क) हिमाचल लोकायुक्त में किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रुटि;

(ख) हिमाचल लोकायुक्त के लोकायुक्त या उप लोकायुक्त के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में किसी त्रुटि; या

(ग) मामले के गुणागुण को न प्रभावित करने वाली किसी अनियमितता के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

(3) अपवादिक परिस्थिति, जहां कैमरा में कार्यवाहियां करना लोक हित में न हो, के सिवाय, हिमाचल लोकायुक्त के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों में सुनवाइयां सार्वजनिक रूप से की जाएंगी और उसके लिए कारण, उन कार्यवाहियों को बन्द करने में आयोजित करने से पूर्व, लिखत में अभिलिखित किए जाएंगे ।

अध्याय—10

हिमाचल लोकायुक्त की जवाबदेही

24. लोकायुक्त और उप लोकायुक्तों का हटाया जाना।—(1) लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को उनके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर इस प्रकार हटाए जाने के लिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उसके उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई के बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन के, विधान सभा द्वारा उसी सत्र में राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल ने आदेश पारित न कर दिया हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी समावेदन के प्रस्तुत किए जाने पर और लोकायुक्त और उप लोकायुक्तों के कदाचार या असमर्थता की जांच और साबित किए जाने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी किसी न्यायाधीश को हटाए जाने के सम्बन्ध में न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में उपबन्धित की गई है और, तदानुसार उस अधिनियम के उपबन्ध, आवश्यक उपान्तरणों के अधीन लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को हटाए जाने के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे न्यायाधीश के हटाए जाने के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।

(3) यदि लोकायुक्त या उप लोकायुक्त के विरुद्ध शिकायत तुच्छ है और असद्भाव से आशय के की गई है, तो ऐसी शिकायत हिमाचल लोकायुक्त द्वारा सक्षम न्यायालय में दायर की जाएगी, जो शिकायतकर्ता पर, कारावास का दण्ड, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों अधिरोपित कर सकेगा ।

25. हिमाचल लोकायुक्त का बजट।—(1) हिमाचल लोकायुक्त, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल लोकायुक्त की प्राककलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए अपना बजट तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा । हिमाचल लोकायुक्त राज्य सरकार द्वारा मंजूर बजट को किसी सरकारी अभिकरण से प्रशासनिक या वित्तीय अनुमोदन के बिना उपयोग कर सकेगा ।

(2) हिमाचल लोकायुक्त की वार्षिक लेखा परीक्षा भारत के नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित की जाएगी ।

26. हिमाचल लोकायुक्त की वार्षिक रिपोर्ट।—(1) हिमाचल लोकायुक्त अपने कार्य की वार्षिक समेकित रिपोर्ट को विहित प्ररूप पर राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा।

(2) राज्यपाल, उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर उसकी एक प्रति को व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ, सदन के पटल पर रखवाएगा।

अध्याय—11

उच्च कृत्यकारियों के विरुद्ध अन्वेषण और अभियोजन

27. उच्च कृत्यकारियों के विरुद्ध जांच।—हिमाचल लोकायुक्त की अनुज्ञा के बिना, निम्नलिखित किसी भी कृत्यकारी के विरुद्ध कोई जांच, अन्वेषण या अभियोजन आरम्भ नहीं किया जाएगा:—

- (i) मुख्य मन्त्री और मन्त्री परिषद के अन्य सदस्य;
- (ii) मुख्य संसदीय सचिव और संसदीय सचिव;
- (iii) हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य; और
- (iv) हिमाचल प्रदेश सरकार के सचिव स्तर या उससे ऊपर के कोई अधिकारी या विभागाध्यक्ष।

28. शिकायतकर्ता की मृत्यु की दशा में जांच का जारी रखना।—यदि शिकायतकर्ता की मृत्यु हो जाती है या वह अभिकथन को लेने से असमर्थ हो जाता है या अभिकथनों को सिद्ध साबित करने के लिए कोई आगामी पग नहीं उठाता है, तो अभियोजन जारी रहेगा तथा हिमाचल लोकायुक्त कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर शिकायत का निपटारा करेगा।

29. शिकायत का वापिस लेना।—किसी भी शिकायत को तब तक वापिस लेने की अनुज्ञा नहीं होगी, जब तक हिमाचल लोकायुक्त का समाधान नहीं हो जाता कि शिकायत को सद्भाविक भूल से किया गया था या की गई शिकायत का समुचित रूप से निपटारा कर लिया गया है।

अध्याय—12

नियम और विनियम बनाने की शक्तियां

30. नियम बनाने की शक्ति।—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, यथाशक्य शीघ्र सदन के सभा पटल पर रखा जाएगा।

31. विनियम बनाने की शक्ति।—(1) हिमाचल लोकायुक्त, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने लिए, इस अधिनियम से संगत विनियम बना सकेगा।

(2) उप धारा (1) में अन्तर्विष्ट विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई ऐसे विनियम निम्नलिखित समस्त या किन्हीं मामलों का उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:—

- (क) अधिनियम के अधीन शक्तियों के निर्वहन के लिए भिन्न-भिन्न स्तरों पर अधिकारियों पर प्राधिकार प्रदान करना और इसके अधिकारियों या कर्मचारिवृंद के विरुद्ध शिकायतों से संबन्धित सहित किसी जांच के लिए प्रक्रिया, अधिकथित करना;

- (ख) अवधि, जिसके भीतर अन्वेषण और जांच को पूर्ण किया जाना है;
- (ग) हिमाचल लोकायुक्त द्वारा, परिचालन के माध्यम से, कतिपय विनिश्चय करने के लिए उपबन्ध करना;
- (घ) हिमाचल लोकायुक्त के अधिकारियों के प्रत्येक प्रवर्ग और कर्मचारियों के लिए कार्यमानक;
- (ङ) सभी स्तरों पर, हिमाचल लोकायुक्त संगठन के लिए आचार संहिता;
- (च) इसकी किसी भी शक्ति या कृत्य का इसके अधीनस्थ प्राधिकारियों और अधिकारियों को प्रत्यायोजन किया जाएगा, सिवाय उनके, जो इसके द्वारा प्रयुक्त की जानी हैं या निवर्हन की जानी हैं; और
- (छ) कोई अन्य विषय, जिस पर हिमाचल लोकायुक्त विनियमन बनाना उचित समझे।

अध्याय—13 अन्तर्सूचक (क्षितिज ब्लॉअर्स)

32. अन्तर्सूचक (क्षितिज ब्लॉअर्स).—(1) किसी लोक प्राधिकरण में किसी भ्रष्टाचार की सूचना रखने वाला कोई व्यक्ति, ऐसी सूचना को गोपनीयता से हिमाचल लोकायुक्त को भेज सकेगा और हिमाचल लोकायुक्त ऐसी सूचना की जांच करवाएगा और यदि आवश्यक समझे तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983 या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय—9 के अधीन जांच करवाएगा ।

(2) ऐसे अन्तर्सूचक (क्षितिज ब्लॉअर्स) की पहचान प्रकट नहीं की जाएगी, यदि इस प्रकार वांछित हो, और हिमाचल लोकायुक्त, वास्तविक तथा समुचित मामलों में, ऐसे अन्तर्सूचक को किसी शारीरिक उत्पीड़न, शारीरिक धमकी या प्रशासनिक संताप हेतु पूरा संरक्षण देने के लिए आवश्यक निदेश दे सकेगा ।

(3) हिमाचल लोकायुक्त, इस धारा के अधीन प्राप्त सूचना पर ऐसी सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर, यथासम्भव शीघ्रता के साथ, आदेश पारित करेगा तथा शारीरिक उत्पीड़न की धमकी से अन्तर्ग्रस्त मामलों में तत्काल कार्रवाई की जाएगी और ऐसे आदेश का सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा पालन किया जाएगा ।

(4) शारीरिक या व्यावसायिक उत्पीड़न का सामना करने वाले अन्तर्सूचक द्वारा शिकायतों में जांच, उसकी प्राप्ति के शीघ्रतम आधार पर की जाएगी । किन्हीं बेनाम या छद्मनाम शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा । शिकायतकर्ता को, हिमाचल लोकायुक्त को अपना परिचय देना अपेक्षित होगा तथा हिमाचल लोकायुक्त, शिकायतकर्ता के अनुरोध पर उसका परिचय गुप्त रखेगा ।

अध्याय—14

प्रकीर्ण

33. कठिनाई दूर करने की शक्ति.—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, हिमाचल लोकायुक्त के परामर्श से, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, सभा के पटल पर रखा जाएगा ।

34. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।—इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां, हिमाचल लोकायुक्त के लोकायुक्त, उप लोकायुक्त, अधिकारियों, कर्मचारियों और किसी अन्य लोक सेवक, अभिकरण या किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होंगी।

35. हिमाचल लोकायुक्त के लोकायुक्त, उप लोकायुक्त, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना।—लोकायुक्त, उप लोकायुक्त, अधिकारी और कर्मचारी जब इस अधिनियम के किसी उपबंध की अनुपालना में कार्य करते हैं या कार्य करने के लिए तात्पर्यित होते हैं, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

36. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।—इस अधिनियम के उपबंधों का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, अध्यारोही प्रभाव होगा।

37. इस अधिनियम के उपबंधों का अन्य विधियों के अतिरिक्त होना।—इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, न कि अल्पीकरण में।

38. प्रत्यायोजन की शक्ति।—हिमाचल लोकायुक्त, लिखित में साधारण और विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, के अध्यधीन, निदेश दे सकेगा कि उसे प्रदत्त कोई प्रशासनिक या वित्तीय शक्ति ऐसे अधिकारियों द्वारा, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रयोग की जा सकेगी या उनके द्वारा उसका निर्वहन किया जा सकेगा।

39. निरसन और व्यावृत्तियाँ।—हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 1983 (1983 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘उक्त अधिनियम’ कहा गया है) का एतद्वारा निरसन किया जाता है:

परन्तु उक्त अधिनियम का निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा,—

(क) उक्त अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व; या

(ख) उक्त अधिनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड; या

(ग) यथापूर्वकत ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के बारे में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार; और

ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाहियां या उपचार, संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, मानो उक्त अधिनियम के उपबंध निरसित नहीं किए गए थे :

परन्तु यह और कि इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन की गई किसी नियुक्ति या प्रत्यायोजन, जारी की गई अधिसूचना, आदेश या निदेश और बनाए गए नियम सहित की गई कोई बात या कार्रवाई, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, इस अधिनियम के तत्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी और ऐसी नियुक्ति, प्रत्यायोजन, अधिसूचना, आदेश, निदेश, नियम तदनुसार तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक अधिकान्त नहीं कर दिए जाते ।

अनुसूची

[धारा 7 (2) देखें]

मैं हिमाचल लोकायुक्त का लोकायुक्त या उप लोकायुक्त नियुक्त हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं सम्पूर्ण रूप से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान एवं विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का, बिना भय अथवा पक्षपात, अनुराग या द्वेष के, पालन करूँगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भ्रष्टाचार मुक्त समाज की शासन प्रणाली की स्थापना का उपबंध करने के लिए अधिनियम, ताकि विभिन्न प्राधिकरणों, परिकरणों, अभिकरणों, उपक्रमों और निकायों चाहे सरकार के प्रत्यक्षतः या परोक्षतः स्वामित्वाधीन, नियन्त्रणाधीन या द्वारा सारतः निधिबद्ध हो, सहित राज्य के संसाधनों का उपयोग, ऐसे प्रयोजनों, जिनके लिए ऐसे संसाधन आवंटित किए गए हैं, किन्हीं परोक्ष प्रयोजनों, लाभ और अंतररक्ष्य हेतुओं के लिए बिना किसी क्षेप्य (बर्बादी) के जन साधारण के अनुकूलतम उपयोग के लिए किया जा सके, ताकि सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन ऐसे प्राधिकरणों, निकायों और संस्थाओं, के कार्यकरण में व्यवहारिक पारदर्शिता और जवाबदेही हो ।

और सरकार के उन कृत्यकारियों, के विरुद्ध उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु, जो अपने व्यवित्त लाभों के लिए और सरकार को सदोष हानि पहुँचाते हुए तथा जन साधारण का शोषण करते हुए, अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करते हुए कदाचार में संलिप्त रहते हैं, किसी प्रभावी, स्वायत्त और स्वतन्त्र प्राधिकरण का उपबन्ध करने की आवश्यकता है;

और अन्तर्सूचक (व्हिसल ब्लॉअर) और अन्य, जिन्होंने राज्य के संसाधनों के कदाचार, शोषण, दुरुपयोग की रोकथाम करने के लिए गुप्त जानकारी और सहायता दी है, को सुरक्षा प्रदान करना समीचीन है;

और विद्यमान हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 1983 को लोक सेवकों के स्तर पर ऐसे कुछ कदाचारों, शक्ति और प्राधिकार के दुरुपयोग को निर्मांत्रित करने के लिए प्रभावी नहीं पाया गया;

अतः, इस लिए, भ्रष्टाचार को रोकने और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए तथा लोक सेवकों, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं, को दण्डित करने के लिए स्वतन्त्र और स्वायत्त हिमाचल लोकायुक्त की स्थापना करने के लिए पुनः अधिनियमित करना समीचीन है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रेम कुमार धूमल)
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :

तारीख : 2012

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबंध अधिनियमित होने पर राजकोष से लगभग 1.26 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय अंतर्वलित होगा ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 30 और 31 क्रमशः राज्य सरकार और हिमाचल लोकायुक्त को इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम और विनियम बनाने के लिए सशक्त करते हैं । शक्ति का प्रस्तावित प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिश
(नस्ति संख्या : गृह (विज) ए (3)-1 / 2011)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2012 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 26 of 2012

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA BILL, 2012

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to re-enact the law to provide for establishment of an independent body of Himachal Lokayukta to inquire into complaints and allegations of corruption against public servants and public functionaries and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2012.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh and also applies to the public servants posted outside the State in connection with the affairs of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

2. Definitions.—(1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) “allegation” in relation to a public servant means any affirmation that such public servant—

(i) has knowingly and intentionally abused his position as such to obtain any undue gain or favour to himself or to any other person or to cause undue harm or hardship to any other person as actuated in the discharge of his functions by improper or corrupt motives thereby caused loss to the State or any member or section of the public or lack of integrity in his capacity as such public servant; or

- (ii) is guilty of corruption; or
- (iii) is in possession of pecuniary resources or property disproportionate to his known source of income and such property is held by the public servant personally or by any member of his family;

Explanation.—For the purpose of this sub-clause, “family” means husband, wife, and dependent minor children including adopted children.

- (b) “complaint” means an allegation, made in such form as may be prescribed, alleging that a public servant has committed an offence punishable under the Prevention of Corruption Act, 1988 or the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 or Chapter IX of the Indian Penal Code, 1860;
- (c) “competent authority” in relation to a public servant means,—
 - (i) in the case of Chief Minister, the Legislative Assembly of the State;
 - (ii) in the case of member of the Council of Ministers, Minister of State, Deputy Minister, Chief Parliamentary Secretary or Parliamentary Secretary, the Chief Minister;
 - (iii) in the case of a Member of the State Legislature, other than a Minister, Chief Parliamentary Secretary or Parliamentary Secretary, the Speaker of the House;
 - (iv) in the case of a Vice-Chancellor, Pro-Vice-Chancellor of a University substantially funded by the State Government and established under any Act of the State Legislature, the Governor as Chancellor of the University;
 - (v) in the case of a member of the All India Service or Head of Department, the Chief Minister;
 - (vi) in the case of a member of Judicial Services including subordinate staff, the High Court;
 - (vii) in the case of other officers in the Department of the State Government, the Minister-in-Charge of the Department under which such officer is serving;
 - (viii) in the case of Chairperson, Vice-Chairperson, Member of any Body, Board, Corporation, Authority, Company, Society or autonomous body (by whatever name called) established or constituted under any Act of Parliament or of a State Legislature wholly or substantially financed or controlled by the State Government, the Chief Minister;
 - (ix) in the case of any officer of the Body, Board, Corporation, Authority, Company, Society or autonomous body (by whatever name called) established or constituted under an Act of Parliament or of a State Legislature wholly or substantially financed or controlled by the State Government, the Head of such Body, Board, Corporation, Authority, Company, Society or autonomous body; and
 - (x) in any other case, not falling under sub-clauses (i) to (ix) above, such authority as the State Government may, by notification, specify;

Provided that if any person referred to in sub-clause (ix) is a Member of the State Legislature, then the competent authority shall be the Speaker of the House;

- (d) “corruption” means and includes—
 - (i) the allegations of favouritism, nepotism and lack of integrity in his capacity as public servant;
 - (ii) any act made punishable under the Prevention of Corruption Act, 1988;
 - (iii) any act made punishable under the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983;
 - (iv) any act made punishable under Chapter IX of the Indian Penal Code 1860; or
 - (v) victimization of a whistle blower or a witness.
- (e) “Governor” means the Governor of Himachal Pradesh;
- (f) “Himachal Lokayukta” means an institution of Lokayukta comprising of Lokayukta and Up-Lokayuktas collectively;
- (g) “Lokayukta” means a person appointed as Lokayukta under section 4;
- (h) “Up-Lokayuktas” means the persons appointed as Up-Lokayukta under section 4;
- (i) “Minister” means Minister of a State Government but does not include the Chief Minister;
- (j) “notification” means the notification published in the Official Gazette and the expression “notify” shall be construed accordingly;
- (k) “preliminary enquiry” means an enquiry conducted under this Act;
- (l) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
- (m) “Public Authority” means any authority or body or institution of self-governance established or constituted—
 - (i) by or under the Constitution of India; or
 - (ii) by or under any other law made by the State Legislature; or
 - (iii) by notification by the Government, and includes any Body owned, controlled or substantially financed by the Government;
- (n) “public servant” means a person who has held or is holding public office and is or has been public servant within the meaning of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988, and shall include,—
 - (i) the Chief Minister of Himachal Pradesh, all Ministers in the Council of Ministers of Himachal Pradesh, Ministers of State, Deputy Minister, Chief Parliamentary Secretaries, Parliamentary Secretaries and Member of Legislative Assembly;

- (ii) a Chairman, Vice-Chairman, Managing Director, Member of the Board of Directors or Chief Executive Officer (by whatever name called) of a Government Company within the meaning of section 617 of the Companies Act, 1956, in which not less than fifty-one percent of the paid up share capital is held by the State Government, or any company which is a subsidiary of a company in which not less than fifty-one percent of the paid up share capital is held by the State Government;
- (iii) a Mayor, Deputy Mayor, Councillor or Commissioner of a Municipal Corporation, declared and constituted under sections 3 and 4 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994;
- (iv) a President, Vice-President, a Member, Executive Officer or Secretary of a Municipal Council or Nagar Panchayat constituted under section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994;
- (v) a Vice-Chancellor, Pro-Vice-Chancellor of a University substantially funded by the State Government and established under any Act of the State Legislature;
- (vi) a Chairman, Vice-Chairman or Member of the Zila Parishad or Panchayat Samiti, Pradhan, Up-Pradhan or Member of a Gram Panchayat constituted under the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994;
- (vii) a President, Vice-President, Managing Director or Member of any Managing Committee or Board of Director of an Apex Society or such other Co-operative Societies incorporated or registered under the law relating to Co-operative Societies for the time being inforce, as may be notified by the State Government;
- (viii) a Chairman, Vice-Chairman, Managing Director or the Chief Executive Officer (by whatever name called) of any statutory or non-statutory body incorporated or set up by the State Government;
- (ix) in the service or pay of Government, a Government Company, Local Body, substantially State funded University, Zila Parishad, Panchayat Samiti, Apex Society, statutory or non-statutory body referred to in sub-clauses (ii) to (viii) of this clause;
- (x) holding any other post or office under the control of the State Government or an authority referred to in sub-clause(ix) and notified by the State Government in the Official Gazette from time to time; and
- (xi) Members of Judicial Services and other staff of courts;

Explanation.—For the purpose of this clause, the public servants shall not include the Chief Justice and Judges of Himachal Pradesh High Court.

- (o) “rule” means rules made under section 30 of the Act;
- (p) “regulation” means regulation made under section 31 of the Act;
- (q) “Schedule” means a Schedule appended to this Act;
- (r) “State Government” means the Government of Himachal Pradesh;

- (s) “Special Court” means the court of a Special Judge appointed under section 19 of this Act; and
- (t) “Whistle blower” means any person, who provides factual information with substance about corruption in a public authority by any public servant or is a witness or victim in a case of corruption before the Himachal Lokayukta.

(2) The words and expressions used herein and not defined in this Act, but, defined in the Prevention of Corruption Act, 1988, as amended from time to time, Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983, as amended from time to time, shall have the meanings, respectively assigned to them in that Act.

(3) Reference to any Act includes amendments made to that Act, from time to time.

CHAPTER-II

ESTABLISHMENT OF HIMACHAL LOKAYUKTA

3. Establishment of Himachal Lokayukta.—(1) The State Government shall, by notification establish Himachal Lokayukta and appoint Lokayukta and Up Lokayuktas in the following manner, namely:—

- (a) a Lokayukta, who is or has been a Judge of the Supreme Court or Chief Justice of a High Court; and
- (b) two Up-Lokayuktas out of whom one Up-Lokayukta shall be a person of impeccable integrity, outstanding ability having twenty five years outstanding service in public administration and other Up-Lokayukta shall be a person of impeccable integrity, outstanding ability having special knowledge and expertise of not less than twenty five years in the matters relating to public service, anti-corruption policy, law or public administration:

Provided that the Lokayukta appointed prior to commencement of this Act shall continue to be the Lokayukta till the completion of his term.

- (2) a person shall not be eligible to become Lokayukta or a Up-Lokayukta if—
 - (a) he is not a citizen of India;
 - (b) against him charges were ever framed by any Court of Law for any offence involving moral turpitude;
 - (c) he has been convicted and sentenced for a term of two years or more;
 - (d) he is less than fifty-five years of age on the date of assuming office;
 - (e) he is a Member of Parliament, State Legislature or a Local Body;
 - (f) he has been awarded a major penalty during his service of the Union or State;

Provided that Lokayukta shall not hold any office of trust or profit (other than his office as Lokayukta or a Up-Lokayukta) or be connected with any political party or

carry on any business or practise any profession and accordingly, before he enters upon his office shall, if he—

- (i) holds any office of trust or profit, resign from such office; or
- (ii) is carrying any business, sever his connection with the conduct and management of such business; or
- (iii) is practising any profession, cease to practise such profession.

(3) The seat of Himachal Lokayukta shall be at Shimla.

4. Appointment of Lokayukta and Up-Lokayuktas.—(1) The Lokayukta and Up-Lokayuktas shall be appointed by the Governor by warrant under his hand and seal after obtaining recommendations of the Selection Committee.

(2) The Selection Committee shall consist of—

- (i) the Chief Minister of Himachal Pradesh, Chairman
- (ii) the Leader of Opposition in the Legislative Assembly of Himachal Pradesh, Member
- (iii) the Chief Justice of Himachal Pradesh High Court, Member

Explanation.—For the purpose of this section, where the Leader of Opposition in the Legislative Assembly has not been recognized, the leader of the single largest group in opposition in the Legislative Assembly shall be deemed to be the leader of the opposition.

(3) The Selection Committee shall select the Lokayukta and Up-Lokayuktas out of a short list prepared by the Search Committee.

5. Search Committee.—(1) The Search Committee shall consist of three Members to be nominated by the Selection Committee out of the persons having impeccable integrity, outstanding ability having special knowledge and expertise in the matters relating to public service, law or public administration.

(2) The Members of the Search Committee shall be eligible for such honorarium subject to such conditions as may be prescribed.

(3) The Search Committee shall invite applications, seek nominations from such eminent persons or such class of persons or organizations, whom it deem fit and may include name of a person for consideration as Lokayukta or Up-Lokayukta.

(4) The names of such persons with complete bio-data shall be put on a public web-site and also published in two prominent newspapers by the Search Committee giving at least fifteen days time for inviting any information or public objections.

(5) The Search Committee shall formulate its own procedure for the purpose of short listing the names to be recommended for the Selection Committee in a transparent manner. The Committee shall use all means for the purpose of obtaining the information and background and

achievements of such candidates. Such information shall inter-alia, contain details of any allegations faced under any law, details of his work against corruption in the past, and reasons that why the person is suitable for the job and any other material as the Search Committee may decide.

(6) The Search Committee shall recommend three names for each post. The Committee, before sending the short list to the Selection Committee, shall get the names of the short listed persons put on a public web-site to enable general public to submit any relevant information about such persons.

6. Selection of Lokayukta and Up-Lokayuktas by the Selection Committee.—(1) The Selection Committee shall, after considering all the relevant information about the short listed candidates, select the Lokayukta and the Up-Lokayuktas preferably through consensus.

(2) The Selection Committee after selecting the persons to be recommended as Lokayukta or Up-Lokayuktas shall ascertain their willingness to serve as such before recommending the names to the Governor.

(3) The Government shall fill up a vacancy of the Lokayukta or Up-Lokayukta, as the case may be, within one month from the date the Lokayukta or Up-Lokayukta completes his term:

Provided that if the vacancy arises due to unforeseen reasons, it shall be filled within three months from the date of arising of such vacancy.

7. Term of office of Lokayukta and Up-Lokayuktas.—(1) The Lokayukta and Up-Lokayukta shall hold office for a single term of five years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of 70 years whichever is earlier:

Provided that a sitting Up-Lokayukta appointed as a Lokayukta shall hold office for the balance term or up-to 70 years whichever is earlier, but the total term as Up-Lokayukta and Lokayukta shall not exceed five years:

Provided further that the Lokayukta or the Up-Lokayukta may, by writing under his hand addressed to the Governor, resign his office.

(2) The Lokayukta and Up-Lokayukta shall, before entering upon his office, make and subscribe before the Governor an oath or affirmation in the form set out in the Schedule.

(3) In the event of occurrence of any vacancy in the office of the Lokayukta by reason of his death, resignation or otherwise, the Governor may, by notification, authorize the senior most Up-Lokayukta to act as the Lokayukta until the appointment of a new Lokayukta:

Provided that when the Lokayukta is unable to discharge his functions due to leave or otherwise, the Governor may, by notification authorize the senior most Up-Lokayukta to discharge the functions of the Lokayukta until he resumes his duties.

8. Salaries, allowances and other conditions of service of Lokayukta and Up-Lokayuktas.—(1) The Lokayukta and the Up-Lokayukta shall be paid salary equal to that of the Chief Justice of the High Court and that of the Judge of the High Court respectively, and allowances and other conditions of service shall be such, as may be prescribed:

Provided that the salary, allowances and other facilities provided to the existing Lokayukta shall not be varied to his disadvantage on becoming Lokayukta:

Provided further that if the Lokayukta or a Up-Lokayukta is, at the time of his appointment, in receipt of pension (other than a disability pension) in respect of any previous service under the Government of India or the State Government, his salary in respect of service as the Lokayukta or as a Up-Lokayukta, as the case may be, be reduced—

- (a) by the amount of that pension; and
- (b) if he has, before such appointment, received, in lieu of a portion of the pension due to him in respect of such previous service, the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension.

(2) The Lokayukta and the Up-Lokayukta shall not be eligible for any pension for holding the office as such:

Provided that the salary and other conditions of service of the Lokayukta or Up-Lokayukta shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

9. Restriction on employment by Lokayukta and Up-Lokayuktas after ceasing to hold office.—The Lokayukta and the Up-Lokayuktas, after ceasing to hold office, shall be ineligible for diplomatic assignment, appointment to any position in the Government of India or the Government of any State or any such body which is funded by any of the Governments.

10. Secretary, other officers and staff of the Himachal Lokayukta.—(1) There shall be a Secretary to the Himachal Lokayukta from All India Service in the rank of Secretary to the State Government, to be appointed by the State Government, in consultation with the Himachal Lokayukta.

(2) The officers and other staff of the Himachal Lokayukta shall be taken by the Himachal Lokayukta on secondment basis from the State Government or from organization controlled by the State Government:

Provided that the existing staff of the Himachal Lokayukta shall continue to be the employees of the Himachal Lokayukta.

(3) The Himachal Lokayukta may make its regulations with the prior approval of the State Government relating to creation of posts, salary, allowances and other conditions of service of Secretary and other officers and employees of the Himachal Lokayukta .

CHAPTER-III

POWERS AND FUNCTIONS OF HIMACHAL LOKAYUKTA

11. Powers and functions of the Himachal Lokayukta.—The Himachal Lokayukta shall have the following powers and functions, namely :—

- (a) to initiate suo-motu action under the Act including matters relating to allegations of corruption;
- (b) to receive complaints against public servants;
- (c) to receive complaints against any officer and other employees of the Himachal Lokayukta;
- (d) to take prosecutors and senior counsels on retainership;

- (e) to exercise superintendence over the investigation of offences involving any act of corruption under this Act;
- (f) to give directions to the investigation officers for the proper investigation of such offences;
- (g) after completion of investigation in any case involving act of corruption, to direct prosecution or departmental proceedings;
- (h) to initiate prosecution before a Special Court;
- (i) to recommend staying, cancellation or modification of lease, license, permission, contract or agreement, if it was obtained by corrupt means and to recommend blacklisting of a firm, company, contractor or any other person, involved in an act of corruption. The concerned authority shall send its compliance report to the Himachal Lokayukta within three months specifying detailed reasons, wherever they choose not to accept any of the recommendation;
- (j) to initiate the process to get the property and assets acquired by corrupt means attached and confiscated in accordance with law;
- (k) to take appropriate action in accordance with this Act to ensure due compliance of its orders;
- (l) to make recommendations to Public Authorities, to make changes in their work practices to reduce the scope for corruption and whistleblower victimization;
- (m) to require any Public Authority to render any specific help required by the Himachal Lokayukta ; and
- (n) to authorize issue of letter of request in relation to any case pending investigation under this Act.

CHAPTER-IV

INQUIRY AND INVESTIGATION BY THE HIMACHAL LOKAYUKTA

12. Inquiry by Himachal Lokayukta.—(1) Subject to the other provisions of this Act, the Himachal Lokayukta shall inquire or cause an inquiry to be conducted into any matter involved in, or arising from, or connected with, any allegation of corruption made in a complaint in respect of any public servant.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Himachal Lokayukta shall not inquire into any matter involved in, or arising from, or connected with, any such allegation of corruption against any Member of the State Legislature in respect of anything said or a vote given by him in the State Legislature or any Committee thereof covered under clause (2) of article 194 of the Constitution of India.

(3) The Himachal Lokayukta may also inquire into any act or conduct of any person other than those referred to in sub-section (1), if such person is involved in the act of abetting, bribe giving or bribe taking or conspiracy relating to any allegation of corruption against a person referred to in sub-section (1).

(4) No matter in respect of which a complaint has been made to the Himachal Lokayukta under this Act shall be referred for inquiry under the Commissions of Inquiry Act, 1952.

Explanation.—The Himachal Lokayukta shall not inquire into any matter,—

- (a) in respect of which a formal and public inquiry has been ordered under the Public Servants (Inquiries) Act, 1850; or
- (b) which is not connected with the discharge of functions as public servant of the person against whom allegation is made; or
- (c) relating to an allegation against a public servant, if the complaint is made after expiration of period of five years from the date on which the conduct complained against is alleged to have been committed.

Explanation.—For the removal of doubts, it is hereby declared that a complaint under this Act shall only relate to a period during which the public servant was holding or serving in that capacity.

(5) The Himachal Lokayukta shall put on its website the cases received during the previous month, cases disposed of during the month with brief details of each case and cases pending at the end of month.

(6) The Himachal Lokayukta shall maintain complete transparency and shall ensure that complete record of any investigation or inquiry conducted under this Act, is made public by putting on a public website.

(7) Himachal Lokayukta shall ensure effective implementation of the Right to Information Act, 2005 in his office.

13. Complaints and preliminary inquiry and investigation.—(1) Any person may make a complaint under this Act to Himachal Lokayukta in the form of a statement supported by an affidavit in such form and in such manner as may be prescribed.

(2) The Himachal Lokayukta shall, on receipt of a complaint under sub-section (1), first decide whether to proceed in the matter or close the same, and if the Himachal Lokayukta decides to proceed further, it shall order the preliminary inquiry against any public servant by its investigation wing or any agency (including any special investigation agency) to ascertain whether there exist a prima-facie case for proceeding in the matter.

(3) During the preliminary inquiry referred to in sub-section (2), the investigation wing or any agency, as the case may be, may conduct a preliminary inquiry and on the basis of material, information and documents collected, shall submit a report to the Himachal Lokayukta within sixty days or further extended period from the date of receipt of the reference.

(4) The Himachal Lokayukta shall consider every report received under sub-section (3), after giving an opportunity of being heard to the public servant, and shall decide as to whether there exists a prima-facie case, and make recommendations to proceed with one or more of the following actions, namely:—

- (a) investigation by its investigation wing or any investigating agency;

- (b) to direct the departmental proceedings or any other appropriate action against the concerned public servant by the Competent Authority; and
- (c) closure of the proceedings against the public servant and take action to proceed against the complainant under this Act.

(5) In case the Himachal Lokayukta decides to proceed to investigate into the complaint, it shall direct any investigation agency (including any special agency) to carry out the investigation as expeditiously as possible and complete the investigation within a period of six months from the date of its order:

Provided that the Himachal Lokayukta may extend the said period by a further period of six months for the reasons to be recorded in writing.

(6) Notwithstanding anything contained in section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973, any agency (including any special agency) shall, in respect of cases referred to it by the Himachal Lokayukta, submit the investigation report to the Himachal Lokayukta.

(7) The Himachal Lokayukta shall consider the report received under sub-section(6) and after giving an opportunity of being heard to the public servant may decide as to—

- (a) file charge sheet or closure report before the Special Court against the public servant; or
- (b) direct to initiate the departmental proceedings or any other appropriate action against the public servant by the Competent Authority.

(8) The Himachal Lokayukta shall forward the investigation report to the Competent Authority, if it is decided to file charge sheet before the Special Court, who shall grant or seek the prosecution sanction or send a report in writing within 120 days from the date of receipt of investigation report, failing which the prosecution sanction shall be deemed to have been granted. After receipt of prosecution sanction or report in writing, the Himachal Lokayukta shall direct—

- (a) its prosecution wing to initiate prosecution in the Special Court in respect of the cases investigated by its Investigation Wing or any other investigation agency (including any special agency); or
- (b) any other agency in respect of the cases investigated by such agency on the direction of Himachal Lokayukta to obtain its approval and thereafter initiate prosecution in the Special Court and forwards a copy of charge sheet filed by it under this clause to the Himachal Lokayukta for the purposes of superintendence.

(9) The Himachal Lokayukta may, during the preliminary inquiry or the investigation, as the case may be, pass appropriate orders for the safe custody of documents relevant to the preliminary inquiry or, as the case may be, investigation as it deem fit.

(10) The Himachal Lokayukta, if satisfied that during the investigation any preventive action is necessary in public interest to prevent the on going incidence of corruption, it may make any recommendation to the Public Authority concerned to stay the implementation and enforcement of any decision or take such action as may be recommended by it. The Public Authority shall either comply with the recommendation of the Himachal Lokayukta or reject the same within thirty days of the recommendation thereof.

(11) The website of the Himachal Lokayukta shall display to the public the status of complaints pending before it.

(12) In case of a person serving in connection with the affairs of the Union of India, no investigation shall be started without the approval of the Central Government.

14. Persons likely to be prejudicially affected to be heard.—If at any stage of the proceeding, the Himachal Lokayukta—

- (a) considers it necessary to inquire into the conduct of any person other than the accused; or
- (b) is of opinion that the reputation of any person other than the accused is likely to be prejudicially affected by the preliminary inquiry,

the Himachal Lokayukta shall give to that person a reasonable opportunity of being heard in the preliminary inquiry and to produce evidence in his defence.

15. Himachal Lokayukta may require any public servant or any other person to furnish any information etc.—Subject to the provisions of this Act, for the purpose of any preliminary inquiry or investigation, the Himachal Lokayukta or the investigating authority, as the case may be, may require any public servant or any other person who, in its opinion, is able to furnish information or produce documents relevant to such preliminary inquiry or investigation, to furnish any such information or produce any such document.

CHAPTER-V

INVESTIGATION WING OF THE HIMACHAL LOKAYUKTA

16. Investigation Wing.—(1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the Himachal Lokayukta shall have an Investigation Wing for the purpose of conducting fair, impartial and transparent investigation of any offence alleged to have been committed by a public servant punishable under the Prevention of Corruption Act, 1988, Chapter-IX of the Indian Penal Code, 1860 or the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983. The State Government shall provide such number of investigation officers and other staff, as may be required by the Himachal Lokayukta for the purpose of conducting inquiry or investigation under this Act.

(2) No investigation shall be conducted by an officer of the Investigation Wing below the rank of Inspector of Police.

(3) The manner and procedure of conducting an inquiry under this Act shall be such as may be specified by regulations.

(4) The Investigating Officers of the Himachal Lokayukta authorized to investigate offences under the Prevention of Corruption Act, 1988, Chapter-IX of the Indian Penal Code, 1860 or the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 shall have all the powers which are vested in a Police Officer while investigating offences under the Code of Criminal Procedure, 1973.

17. Himachal Lokayukta Police Station.—Places recommended by the Himachal Lokayukta shall be notified as Himachal Lokayukta Police Stations under clause (b) of section 2 of Code of Criminal Procedure, 1973, as amended from time to time, for registration of the

cognizable offences triable under the Prevention of Corruption Act, 1988, as amended from time to time, Chapter-IX of the Indian Penal Code, 1860, as amended from time to time, and the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983, as amended from time to time.

18. Complaint Authority.—(1) There shall be established a Complaint Authority with two part time members in the Himachal Lokayukta, with the concurrence of the State Government to entertain complaints against any officer or staff of the Himachal Lokayukta.

(2) The Member of such authority shall have knowledge of law or public administration.

(3) Complaints shall be inquired and decided within two months. The officer or staff of the Himachal Lokayukta shall be given proper opportunity to tender his defence. If the officer or staff member is found guilty of misbehavior or dishonesty or corruption, the authority may order his dismissal, removal or reduction in rank including order for his reversion back to the Department concerned.

CHAPTER-VI

SPECIAL COURTS

19. Constitution of Special Courts.—(1) The State Government shall on the recommendations of Himachal Lokayukta designate Special Courts in consultation with the High Court to hear and decide the cases under the Prevention of Corruption Act, 1988, Chapter-IX of the Indian Penal Code, 1860, the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 or under this Act.

(2) The Special Courts designated under sub-section (1) shall decide the trial within a period of one year from the date of filing of challan in the Court:

Provided that if the trial is not decided within a period of one year, the Special Court shall record reasons therefor and decide the trial within a further period of not more than three months or such further extended period but not exceeding a total period of two years for reasons to be recorded in writing.

20. Letter of requests in certain cases.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act or the Code of Criminal Procedure, 1973, if in the course of preliminary inquiry or investigation into an offence or other proceedings under this Act, an application is made to a Special Court by an officer of the Himachal Lokayukta, authorized in this behalf that any evidence is required in connection with the preliminary inquiry or investigation of an offence or proceedings under this Act and he is of the opinion that such evidence may be available in any place in another State and the Special Court, on being satisfied that such evidence is required, it may issue a letter of request to a court or an authority in another State competent to deal with such request to—

(i) examining the facts and circumstances of the case;

(ii) take such steps as the Special Court may specify in such letter of request; and

(iii) forward all the evidence so taken or collected to the Special Court issuing such letters of request.

(2) Every statement recorded or document or thing received under sub-section (1) shall be deemed to be evidence collected during the course of inquiry or investigation.

CHAPTER-VII

PROSECUTION WING OF THE HIMACHAL LOKAYUKTA

21. Prosecution Wing.—The Himachal Lokayukta shall have a prosecution wing comprising of prosecution officers and other staff to be provided by the State Government on secondment basis from organization controlled by the State Government for the purpose of prosecution of public servant in relation to any complaint under this Act. The prosecution wing shall file a case before the Special Court after the approval of the Himachal Lokayukta or any other officer authorized by Himachal Lokayukta for granting such approval in relation to any offence punishable under the Prevention of Corruption Act, 1988, Chapter-IX of the Indian Penal Code, 1860 or the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983.

Explanation.—The superintendence, protection, management, monitoring and control of all the officers and staff of the Himachal Lokayukta including that of Investigation and Prosecution Wings shall be under the supervision of the Himachal Lokayukta.

CHAPTER-VIII

CIVIL COURTS AND OTHER POWERS OF THE HIMACHAL LOKAYUKTA

22. Himachal Lokayukta to have powers of Civil Court in certain cases.—(1) The Himachal Lokayukta shall have the powers of a Civil Court trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the following matters, namely :—

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of any document;
- (c) receiving evidence on affidavits;
- (d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;
- (e) issuing commissions for the examination of witnesses or other documents; and
- (f) any other matter which may be prescribed.

(2) Any proceeding before the Himachal Lokayukta shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code, 1860.

(3) If during the course of investigation into a complaint, the Himachal Lokayukta feels that continuance of a Government servant in that position could adversely affect the course of investigation or that the such Government servant is likely to destroy or tamper with the evidence or influence the witnesses or is likely to continue with corrupt practices, the Himachal Lokayukta may issue directions for transfer of such Government servant from that position. The directions so communicated shall be binding.

(4) The Himachal Lokayukta may, at any stage of investigation under this Act, direct by an interim order, appropriate authorities to take such action as is necessary, to prevent the public servant from secreting the assets allegedly acquired by corrupt means in accordance with law.

(5) Where, in consequence of information in his possession, the Himachal Lokayukta has reason to believe that any person to whom a summon or notice under this Act has been or might be issued, may not or would not produce or cause to be produced any property, document or thing which may be necessary or useful for or relevant to any inquiry or other proceedings to be conducted by him, it may, by a search warrant, authorize any officer not below the rank of Inspector of Police to conduct a search or carry out an inspection in accordance therewith and in particular to, enter and search any building or place where he has reason to suspect that such property, or document, is kept:

Provided that the provisions of Code of Criminal Procedure, 1973, relating to search and seizure shall apply, so far as may be, to search and seizure under this section:

Provided further that a warrant issued under this section shall, for all purposes, be deemed to be a warrant issued by a court under section 93 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

CHAPTER-IX

PROCEEDINGS OF THE HIMACHAL LOKAYUKTA

23. Proceedings of the Himachal Lokayukta.—(1) The Himachal Lokayukta, for the purpose of transaction and allocation of business amongst the Lokayukta and the Up-Lokayuktas, may regulate its own procedure.

- (2) No act or proceeding of Himachal Lokayukta shall be invalid merely by reason of—
 - (a) any vacancy in, or any defect in the constitution of Himachal Lokayukta ;
 - (b) any defect in the appointment of a person acting as a Lokayukta or a Up-Lokayukta of the Himachal Lokayukta ; or
 - (c) any irregularity not affecting the merits of the case.

(3) The hearings in any proceedings before the Himachal Lokayukta shall be held in public, except in exceptional circumstance where it is not in public interest to hold proceedings in camera and the reasons for the same shall be recorded in writing before such proceedings are held in camera.

CHAPTER-X

ACCOUNTABILITY OF THE HIMACHAL LOKAYUKTA

24. Removal of Lokayukta and the Up-Lokayuktas.—(1) The Lokayukta and Up Lokayukta shall not be removed from office, except by an order of the Governor passed after an address by the Himachal Pradesh Legislative Assembly, supported by a majority of the total Members of the Legislative Assembly and by a majority of not less than two third of the Members thereof, present and voting, has been presented to the Governor in the same session for such removal on the ground of proved misbehaviour or incapacity.

(2) the procedure for the presentation of an address and for the investigation and proof of the misbehaviour or incapacity of the Lokayukta and Up Lokayuktas under sub-section (1), shall be as provided in the Judges (Inquiry) Act, 1968, in relation to the removal of a Judge and, accordingly, the provisions of that Act shall subject to necessary modifications, apply in relation to the removal of the Lokayukta and Up Lokayukta as they apply in relation to the removal of a Judge.

(3) If the complaint against Lokayukta or Up-Lokayukta is frivolous or has been made with malafide intention, the complaint shall be filed by the Himachal Lokayukta in the competent court which may impose a punishment of imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to ten lakhs rupees or with both on the complainant.

25. Budget of Himachal Lokayukta.—(1) The Himachal Lokayukta shall prepare its budget for the next financial year showing the estimated receipts and expenditure of the Himachal Lokayukta and forward the same to the State Government. The Himachal Lokayukta may utilize the budget sanctioned by the State Government without any further administrative or financial approval from any Government agency.

(2) The annual audit of the Himachal Lokayukta shall be conducted by the Comptroller and Auditor General of India.

26. Annual Report of Himachal Lokayukta.—(1) The Himachal Lokayukta shall present annually a consolidated report in the prescribed form on its performance to the Governor.

(2) On receipt of report under sub-section (1), the Governor shall cause a copy thereof, together with explanatory memorandum, to be laid on the Table of the House.

CHAPTER-XI

INVESTIGATION AND PROSECUTION AGAINST HIGH FUNCTIONARIES

27. Inquiry against high functionaries.—No inquiry, investigation or prosecution shall be initiated against any of the following functionaries without permission of the Himachal Lokayukta :—

- (i) the Chief Minister and other Members of the Council of Ministers;
- (ii) Chief Parliamentary Secretaries and Parliamentary Secretaries;
- (iii) Members of Himachal Pradesh Legislative Assembly; and
- (iv) any officer of the rank of Secretary and above or Head of Department to the Government of Himachal Pradesh.

28. Continuation of inquiry in case of death of complainant.—Inquiry, investigation and prosecution shall continue in case the complainant dies or is incapacitated from taking or does not take further steps for substantiating the allegation, the Himachal Lokayukta, for reasons to be recorded in writing, proceed further with the complaint on the basis of the material available.

29. Withdrawal of complaint.—No complaint shall be permitted to be withdrawn unless the Himachal Lokayukta is satisfied that the complaint was made under a bona fide mistake or that the grievance complained of has been adequately redressed.

CHAPTER-XII

POWER TO MAKE RULES AND REGULATIONS

30. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, on the Table of the House.

31. Power to make regulations.—(1) The Himachal Lokayukta may, by notification, make regulations consistent with this Act to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the power contained in sub-section(1) any such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the conferment of authority on officers at different levels to exercise powers under the Act and to lay down the procedure for any inquiry including those relating to complaints against its officers and staff;
- (b) period within which the investigation and inquiry have to be completed;
- (c) to provide for the taking of certain decisions by the Himachal Lokayukta by circulation;
- (d) work norms for each category of officers and staff of Himachal Lokayukta ;
- (e) Code of conduct for the Himachal Lokayukta organization at all levels;
- (f) delegation of any of its powers and functions, except those which are to be exercised or performed by it, to the authorities and officers subordinate to it; and
- (g) any other matter on which the Himachal Lokayukta deems fit to frame the regulations.

CHAPTER-XIII

WHISTLE BLOWERS

32. Whistle blowers.—(1) Any person having information of any corruption in any Public Authority may send such information confidentially to the Himachal Lokayukta and the Himachal Lokayukta shall get an inquiry made into such information and if considered necessary get investigation made under the Prevention of Corruption Act, 1988 or the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Act, 1983 or Chapter-IX of Indian Penal Code, 1860.

(2) The identity of such whistle blower shall not be disclosed if so desired and the Himachal Lokayukta in genuine and appropriate cases may issue necessary directions to provide full protection to such whistle blowers from any physical victimization, physical threat or administrative harassment.

(3) The Himachal Lokayukta shall pass orders on the information received under this section as expeditiously as possible within fifteen days of receipt of such information and immediate action shall be taken in cases involving a threat of physical victimization and such orders shall be complied with by the concerned authorities.

(4) The investigation in complaints by the whistle blowers facing physical or professional victimization shall be fast tracked on priority basis at the earliest on the receipt of the same. No anonymous or pseudonymous complaints shall be entertained. The complainant shall be required to disclose his identity to Himachal Lokayukta and the Himachal Lokayukta on the request of the complainant shall keep the identity secret.

CHAPTER-XIV

MISCELLANEOUS

33. Power to remove difficulty.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, in consultation with Himachal Lokayukta, by order, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid on the Table of the House.

34. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings under this Act shall lie against the Lokayukta, Up-Lokayuktas, officers, employees and any other public servant, agency or any person in respect of anything which is done in good faith or intended to be done under this Act or the rules or regulations made thereunder.

35. Lokayukta, Up-Lokayuktas officers and employees of Himachal Lokayukta to be public servants.—The Lokayukta, Up-Lokayuktas, officers and other employees of the Himachal Lokayukta shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

36. Act to have overriding effect.—The provisions of this Act shall have overriding effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being inforce.

37. Provisions of this Act to be in addition to other laws.—The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force.

38. Power to delegate.—The Himachal Lokayukta may, by general or special order in writing, and subject to such conditions and limitations as may be specified therein, direct that any administrative or financial power conferred on it may be exercised or discharged by such officers as may be specified in the order.

39. Repeal and savings.—The Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (Act No. 17 of 1983) (hereinafter called the ‘said Act’) is hereby repealed:

Provided that the repeal of the said Act shall not affect,—

- (a) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Act; or
- (b) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said Act; or
- (c) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid; and

any such investigation, legal proceedings or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the provisions of the said Act had not been repealed :

Provided further that anything done or any action taken, including any appointment or delegation made, notification, order or directions issued, rule made under the Act so repealed shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act and such appointment, delegation, notification, order, direction, rules shall continue to be in force accordingly until superseded.

THE SCHEDULE

[See section 7(2)]

I,.....having been appointed Lokayukta or Up-Lokayukta of the Himachal Lokayukta do swear in the name of God/solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favour, affection or illwill.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

An Act to provide for setting up a regime of corruption free society so that the resources of state including of various authorities, instrumentalities, agencies, undertaking, and bodies either owned, controlled or substantially funded by the Government directly or indirectly are utilized for the purposes for which such resources are earmarked for their optimum use for the general public without any wastage for any oblique purposes, gains and ulterior motives so that there is practical transparency and accountability in the working of such authorities, bodies and institutions owned or controlled by Government.

And whereas there is a need to provide an effective, autonomous and independent authority to take appropriate remedial action against those functionaries of the Government who indulge in mal-practices, abusing and misusing their position and power for their personal gains and wrongful loss to the Government and exploitation of the general public;

And whereas it is expedient to provide safety and protection to the whistle-blowers and others who have given information and assistance in confidence for checking malpractices, exploitation, abuse and misuse of the resources of the State;

And whereas, the existing Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 was not found to be effective for curbing some of such mal-practices, abuse and misuse of power and authority on the part of public servants;

Now, therefore, it is expedient to re-enact the Himachal Pradesh Lokayukta Bill to establish independent and autonomous Himachal Lokayukta to address and take remedial action to contain corruption and to bring to justice public servants who indulge in corruption.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL)
Chief Minister.

Place :.....

Date :

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill, if enacted, shall involve recurring expenditure of approximately 1.26 Crores rupees per annum from the State Ex-checquer

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 30 and 31 of the Bill seeks to empower the State Government and the Himachal Lokayukta to make rules and regulations respectively to carry out the provisions of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

RECOMMENDATION OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(File No. Home (Vig)A(3)-1/2011)

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Lokayukta Bill, 2012, recommends under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill by the Legislative Assembly.
